Seventeenth Loksabha

>

Title: Need for adequate social security for senior citizens.

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): निति संवाद में एक अज्ञात वस्तु है और वह अज्ञात वस्तु है, जो हमारे वरिष्ठ और वृद्ध समाज के सदस्य हैं । वर्ष 2011 के सेंसिस के अनुसार भारत में साढ़े दस करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है । वर्ष 2026 तक यह संख्या बढ़कर 17.3 करोड़ हो जाएगी और वर्ष 2050 तक 32.4 करोड़ हो जाएगी । इस तरह से 50 प्रतिशत से ज्यादा वृद्ध लोग अकेले रहते हैं जिनमें 65 प्रतिशत से ज्यादा गरीब हैं । वृद्ध लोगों के लिए सबसे बड़ी लाचारी को अंग्रेजी में लोनलीनैस कहते हैं । इसके साथ ही देख न पाना, मोटर डिसएबिलिटी के कारण वे अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स में लाचार हो जाते हैं । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, that the elderly are unfortunately subjected to abuse by the very people they have brought up all their lives. Unfortunately, most of them decide to accept this reality in order to continue their living. My appeal to you, hon. Speaker, Sir, is that we owe to our senior citizens the dignity that is essential in the autumn of their lives. I would like to request you that there should be a detailed discussion in this House on the status of our elderly. That is my humble submission to you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. किरीट पी. सोलंकी और श्री निशिकांत दुबे, श्री उदय प्रताप सिंह और दुष्यंत सिंह को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें । शेष को व्यपगत माना जाएगा ।

…(व्यवधान)